

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1675 /

जबलपुर, दिनांक 07/07/2020.

संविधान की धारा 229(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 9 एवं 12 के अंतर्गत माननीय मुख्य न्यायाधिपति निम्न सारणी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके द्वारा धारित स्थानापन्न पद पर दिनांक 30-06-2020 से संबंधित काडर में निम्नानुसार स्थायी किया जाता है :-

आदेशानुसार क्रम	कर्मचारी का नाम	स्थापना
कोर्ट अटेंडेंट / रूम अटेंडेंट / अटेंडेंट		
1	श्री अमजद खान	ग्वालियर
आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक		
1	श्री योगेश कुमार नामदेव	ग्वालियर
2	श्री सारिक खान	ग्वालियर
3	श्री विनोद कुमार रजक	ग्वालियर
4	श्री बालकिशन पाल	ग्वालियर
कोर्ट अटेंडेंट / रूम अटेंडेंट / अटेंडेंट		
1	श्रीमती नलिनी पाटिल	इंदौर

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
फिर

पृष्ठांकन क्रमांक 9/1676 /

जबलपुर, दिनांक 07/07/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
3. रजिस्ट्रार, प्रशासन/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. चीफ सिरिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
5. ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी, स्था./लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. सहायक स्थापना/लेखा/बजट/सेवा पुस्तिका/वेतन निर्धारण, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
12. श्री अमजद खान, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
13. श्री योगेश कुमार नामदेव, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
14. श्री सारिक खान, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
15. श्री विनोद कुमार रजक, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
16. श्री बालकिशन पाल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
17. श्रीमती नलिनी पाटिल, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
fcr